

**अध्याय-।
विहंगावलोकन**

अध्याय - I विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश राज्य भारत के उत्तरी भाग के हिमालयीन क्षेत्र में स्थित है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई में समुद्र तल से 350 मीटर से 6,975 मीटर तक की भिन्नता है, जिससे जलवायु आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय से शुष्क शीतोष्ण पर्वतीय में परिवर्तित हो जाती है। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 17 वां (55,673 वर्ग किलोमीटर) सबसे बड़ा राज्य है। इसे 12 जिलों में व्यवस्थापित किया गया है। जिलों को आगे 3 मण्डलों, 81 उप-मंडलों, 113 तहसीलों, 88 खण्डों एवं 20,752 बसे हुए गांवों (31 मार्च 2024 तक) में विभाजित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश 'उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयीन राज्यों' की श्रेणी में आता है, तदनुसार उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयीन राज्यों को दिया जाने वाले अंशदान स्वरूप (राज्यांश के संदर्भ में भारत सरकार की वित्तीय सहायता) का अनुपात 90:10 (मुख्य योजनाओं हेतु) व 80:20 (वैकल्पिक योजनाओं हेतु) है, जबकि सामान्य श्रेणी के राज्यों के राज्यांश के संदर्भ में भारत सरकार की वित्तीय सहायता 60:40 (मुख्य योजनाओं हेतु) व 50:50 (वैकल्पिक योजनाओं हेतु) के अनुपात में होती है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) के भारत व राज्यों (2011-36) के जनगणना अनुमानों के अनुसार राज्य की जनसंख्या 75.05 लाख (2024) थी, जो देश की जनसंख्या (140.07 करोड़) का 0.54 प्रतिशत है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 135 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत 426 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (2023-24) से कम है। राज्य की साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत थी (परिशिष्ट 1.1)।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक होती है, क्योंकि यह किसी समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाती है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष क्षेत्रीय भागीदारी में बदलाव भी अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शाई गई है तथा वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय भागीदारी एवं क्षेत्रीय वृद्धि चार्ट 1.2 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां
(चालू मूल्यों पर)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भारत					
सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम)	2,01,03,593	1,98,54,096 ^द	2,35,97,399 ^स	2,69,49,646 ^ब	2,95,35,667 ^अ
सकल मूल्य वर्धन	1,83,81,117	1,82,10,997 ^द	2,16,35,584 ^स	2,46,59,041 ^ब	2,67,62,147 ^अ
गत वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.37	-1.24	18.85	14.21	9.60
पिछले वर्ष की तुलना में सकल मूल्य वर्धन की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.02	0.93	18.81	13.97	8.53
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (₹ में)	1,49,915	1,46,480	1,72,422	1,94,879	2,11,725
हिमाचल प्रदेश					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम)	1,59,164	1,51,601 ^द	1,72,162 ^स	1,91,728 ^ब	2,07,430 ^अ
सकल राज्य मूल्य वर्धन	1,49,042	1,42,780 ^द	1,61,664 ^स	1,79,120 ^ब	1,93,121 ^अ
गत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.27	-4.75	13.56	11.36	8.19
गत वर्ष की तुलना में सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.24	-4.20	13.23	10.80	7.82
प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ में)	2,17,229	2,05,589	2,32,180	2,57,249	2,76,943


स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (पूर्व में सीएसओ), सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अनंतिम अनुमान हैं।

अ-अग्रिम अनुमान, ब-प्रथम संशोधित अनुमान, स-द्वितीय संशोधित अनुमान, द-तृतीय संशोधित अनुमान

वर्ष 2023-24 में मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 2,07,430 करोड़ था एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद ₹ 2,95,35,667 करोड़ था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 में राज्य का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 2.77 लाख था जबकि देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ₹ 2.12 लाख था। हालांकि वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (27.49 प्रतिशत) इस अवधि के दौरान देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि (41.23 प्रतिशत) की समान गति से नहीं चल सकी। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि राज्य का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत जो 2019-20 के दौरान देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से 44.90 प्रतिशत अधिक था वह वर्ष 2023-24 के अंत तक देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से घटकर 30.80 प्रतिशत रह गया।


सकल मूल्य वर्धन को उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती खपत के मूल्य को घटाकर प्राप्त राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका उपयोग किसी क्षेत्र विशेष के उत्पादन या योगदान को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण हेतु किया जा रहा है क्योंकि यह करों व सब्सिडी के प्रभाव की उपेक्षा करता है इसलिए यह सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में आर्थिक विकास हेतु बेहतर संकेतक माना जाता है। सकल घरेलू उत्पाद को निजी खपत पर व्यय, सरकारी खपत पर व्यय व सकल अचल पूंजी निर्माण या निवेश पर व्यय सहित अर्थव्यवस्था में होने वाले विभिन्न व्ययों के योग के रूप में परिकल्पित किया जा सकता है और किया भी जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को अनिवार्य रूप से प्रतिबिंबित करता है, जबकि सकल मूल्य वर्धन आपूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। शुद्ध करों की विवेचना में दोनों उपाय भिन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति-निर्माता के दृष्टिकोण से बेहतर विश्लेषण एवं नीतिगत हस्तक्षेप हेतु सकल मूल्य वर्धन व सकल राज्य मूल्य वर्धन आंकड़ों की तुलना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य मूल्य वर्धन की प्रवृत्ति नीचे चार्ट में दर्शाई गई हैं:

चार्ट 1.1: सकल राज्य मूल्य वर्धन की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (2019-20 से 2023-24)



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

चार्ट 1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय वृद्धि



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

एसआर- द्वितीय संशोधित अनुमान, एफआर- प्रथम संशोधित अनुमान, ए- अग्रिम अनुमान

चार्ट 1.2 दर्शाता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड-19 महामारी के पश्चात् सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी करने वाले सभी क्षेत्रों अर्थात् प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि तथा “वी” आकार का सुधार हुआ। तदोपरांत अर्थव्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों में मिश्रित प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक प्राथमिक क्षेत्र में क्रमशः 2021-22, 2022-23 व 2023-24 में 9.17 प्रतिशत, 8.76 प्रतिशत एवं 8.69 प्रतिशत की लगभग स्थिर वृद्धि प्रदर्शित हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य रूप से विनिर्माण एवं निर्माण-कार्य में वृद्धि के कारण द्वितीयक क्षेत्र में 1.86 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि दर वर्ष 2022-23 के 15.19 प्रतिशत से 8.81 प्रतिशत अंक घटकर वर्ष 2023-24 के दौरान 6.38 प्रतिशत हो गई है, ऐसा इस वर्ष लोक प्रशासन में वृद्धि दर में गिरावट (-1.02 प्रतिशत) के कारण हुआ है, जबकि विगत वर्ष इस क्षेत्र में 25.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के नियमानुसार राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य की विधायिका के समक्ष रखता है। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोषागारों, कार्यालयों एवं लेखाओं का संचालन करने वाले विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों एवं प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वित्त लेखे व विनियोजन लेखे वार्षिक रूप से संकलित करते हैं। इन लेखाओं की प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है, जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

वर्ष 2023-24 हेतु राज्य के वित्त लेखे व विनियोजन लेखे इस राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य आंकड़े (कोर डेटा) हैं। सम्मिलित अन्य स्रोत हैं:

- वर्ष 2023-24 का राज्य बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं का आंकलन करने, बजट कार्यान्वयन की दक्षता एवं प्रासंगिक नियमों व निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए,
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम,
- विभागीय प्राधिकरणों एवं कोषागारों से प्राप्त अन्य विवरण (लेखांकन के साथ-साथ मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम),
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े एवं राज्य से सम्बन्धित अन्य सांख्यिकीय; तथा
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

इस प्रतिवेदन में किए गए विश्लेषण 14वें व 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों, राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं व दिशानिर्देशों पर आधारित है।

राज्य सरकार को राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा विश्लेषण/निष्कर्ष उनके उत्तर/विचार प्राप्त करने के लिए सितंबर 2024 में भेजे गए थे; फरवरी 2025 तक राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

1.3 सरकार की लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा गया है, जैसाकि नीचे विवर्णित है:

भाग I: राज्य की समेकित निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार को प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त ऋण (बाजार ऋण, बांड, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों एवं राज्य सरकार को ऋणों की चुकौती से प्राप्त समस्त धनराशि सम्मिलित है।

इस निधि से कोई धनराशि कानून के अनुसार तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त उद्देश्यों एवं तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से विनियोजित नहीं की जा सकती। व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों का वेतन, ऋण चुकौती इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर प्रभारित होती हैं तथा उन पर विधायिका की सहमति आवश्यक नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधायिका की सहमति आवश्यक है।

भाग II: राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है, जिसे राज्य विधायिका ने कानून द्वारा स्थापित किया है तथा इसे राज्यपाल के अधीन रखा गया है ताकि वह व्यय जो विधायिका की अनुज्ञा हेतु लम्बित है ऐसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु दिए अग्रियों के निपटान हेतु सक्षम बनाया जा सके। इस निधि को राज्य को समेकित निधि से सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष से व्यय को डेबिट करके पुनः प्राप्त किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में इस निधि की संचित निधि ₹ 5 करोड़ है।

भाग III: राज्य का लोक लेखा (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त समस्त सार्वजनिक धन लोक लेखा में जमा होता है, जहां सरकार बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा में लघु बचत व भविष्य निधि, निक्षेप (सब्याज व ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (सब्याज और ब्याज रहित) प्रेषण व उचंत शीर्ष (दोनों अस्थाई शीर्ष, जो अंतिम बुकिंग हेतु लम्बित हैं) जैसे वापस चुकाने वाले भुगतान समाविष्ट होते हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा हेतु विधायिका की सहमति आवश्यक नहीं होती।

बजट दस्तावेज

भारत में यह संवैधानिक रूप से अपेक्षित है (अनुच्छेद 202) कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय के विवरण राज्य की विधानसभा के सदन अथवा सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरणी' मुख्य बजट दस्तावेज बनाता है। इसके अतिरिक्त बजट में राजस्व लेखा के व्यय को अन्य व्यय से पृथक रखा जाए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व व संघीय करों/शुल्कों का अंश), कर-भिन्न राजस्व एवं भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सम्मिलित हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय सम्मिलित हैं जो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण में परिणत नहीं होते। यह उन खर्चों से सम्बन्धित है जो सरकारी विभागों के सामान्य-कामकाज एवं विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा लिए ऋणों पर ब्याज भुगतानों तथा विभिन्न

संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माणार्थ हो) पर किए गए हैं।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **लोक ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों के अंतर्गत निवल लेनदेन, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम इत्यादि; तथा
- **ऋण-रहित प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों व अग्रिमों की वसूली, इत्यादि।


पूँजीगत व्यय में सरकार द्वारा भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण के अधिग्रहण एवं शेयरों में निवेश तथा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व अन्य पक्षों को दिए गए ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं।

वर्तमान में सरकार कि एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है, जिसके कार्यात्मक और आर्थिक दोनों आयाम हैं।

अपनाया गया	लेनदेन का कारण	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक द्वारा मानकीकृत मुख्य व लघु शीर्षों की सूची	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/ विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार-अंकीय)
	सह-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (दो- अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (तीन- अंकीय)
राज्यों को दी गई छूट	योजना	उप-शीर्ष (दो- अंकीय)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (दो- अंकीय)
	आर्थिक स्वरूप/ गतिविधि	वस्तु शीर्ष- वेतन, लघु निर्माण कार्य आदि (दो- अंकीय)

यह कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम एवं व्यय के प्रयोजन की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजीगत, ऋण इत्यादि में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण चार-अंकीय मुख्य शीर्ष के पहले अंक में निहित संख्यात्मक तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरणार्थ 0 व 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए और 2 व 3 राजस्व व्यय के लिए है, आदि। आर्थिक वर्गीकरण कुछ वस्तु शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा व वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरणार्थ आमतौर पर "वेतन" वस्तु शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" वस्तु शीर्ष पूँजीगत व्यय है। वस्तु शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोजन की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3: सरकारी लेखाओं की संरचना



स्रोत: वित्त लेखे

लोक ऋण एवं लोक देयता : इस प्रतिवेदन में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण इत्यादि को समाविष्ट करने के लिए 'लोक ऋण' को लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004 - लोक ऋण को लिया गया।

इसके अतिरिक्त लोक लेखा के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि, 'आरक्षित निधि' एवं 'निक्षेप व अग्रिम' से संबंधित ऐसे लेनदेन होते हैं जिनके लिए सरकार पर प्राप्त धनराशि को चुकाने की देयता उत्पन्न होती है अथवा भुगतान की गई राशि की वसूली का दावा होता है। लोक लेखा के अंतर्गत 'प्रेषण' व 'उचंत' से संबंधित लेनदेन में केवल लेनदेन जैसे समायोजन शीर्ष शामिल होते हैं यथा कोषागारों एवं मुद्रा संदूकों (चेस्टों) के मध्य नकदी के प्रेषण एवं विभिन्न लेखांकन सर्किलों के मध्य स्थानांतरण के रूप में लेनदेन।

इस प्रतिवेदन में 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' एवं 'निक्षेप व अग्रिम' से संबंधित मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के तहत हुए लेनदेन के साथ मुख्य शीर्ष 6003 व 6004 के तहत किए गए लेनदेन को समाविष्ट करने के लिए 'लोक देयता' को लिया गया है।

बजटीय प्रक्रियाएं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के नियमानुसार राज्य का राज्यपाल राज्य की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का विवरण **वार्षिक वित्तीय विवरणी** के रूप में राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 203 की शर्तानुसार यह विवरण अनुदान/विनियोजनों की मांग के रूप में राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है तथा इसके अनुमोदनोपरांत विधायिका समेकित निधि में से अपेक्षित धन को विनियोजन हेतु प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोजन विधेयक पारित करती है।

राज्य बजट नियमपुस्तिका बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देती है एवं राज्य सरकार को उसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने व बजटीय अनुमान बनाने में मार्गदर्शन देती है। राज्य सरकार के बजट एवं अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय-III में विवर्णित है।

1.3.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.2 वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.2: वित्त का आशुचित्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संघटक	2022-23 (वास्तविक)	2023-24 (बजट अनुमान)	2023-24 (वास्तविक)	2023-24 के वास्तविक से अनुमानित बजट का प्रतिशत	2023-24 के वास्तविक से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1.	कर राजस्व (i+ii)	18,479.24	21,503.99	21,210.01	98.63	10.23
	(i) स्व-कर राजस्व	10,595.26	13,025.97	11,835.29	90.86	5.71
	(ii) संघीय करों/शुल्कों का अंश	7,883.98	8,478.02	9,374.72	110.58	4.52
2.	कर-भिन्न राजस्व	2,876.33	3,447.20	3,020.88	87.63	1.46
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	16,733.93	13,048.68	14,942.15	114.51	7.20
4.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	38,089.50	37,999.87	39,173.04	103.09	18.88
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	82.79	26.07	27.40	105.10	0.01
6.	अन्य प्राप्तियां	12.59	0.00	2.20	अनुपलब्ध	0.00
7.	निवल उधार व अन्य देयताएं*	12,379.84	8,353.00	11,265.73	134.87	5.43
8.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	12,475.22	8,379.07	11,295.33	134.80	5.45
9.	कुल प्राप्तियां (4+8)	50,564.72	46,378.94	50,468.37	108.82	24.33
10.	राजस्व व्यय	44,425.26	42,703.99	44,731.63	104.75	21.56
11.	ब्याज भुगतान#	4,828.64	5,562.03	5,648.37	101.55	2.72
12.	पूंजीगत व्यय	6,028.89	5,202.38	5,629.79	108.22	2.71
13.	संवितरित ऋण व अग्रिम	110.57	19.71	106.95	542.62	0.05
14.	कुल व्यय (10+12+13)	50,564.72	47,926.08	50,468.37	105.30	24.33
15.	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (4-10)	-6,335.76	-4,704.12	-5,558.59	118.16	-2.68
16.	राजकोषीय घाटा {(4+5+6)-14}	-12,379.84	-9,900.14	-11,265.73	113.79	-5.43
17.	प्राथमिक घाटा (16-11)	-7,551.20	-4,338.11	-5,617.36	129.49	-2.71

स्रोत: वित्त लेखे

* उधार एवं अन्य देयताएं: निवल लोक ऋण (प्राप्तियां-संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियां-संवितरण) + निवल अथ व अंत नकद शेष।

राजस्व व्यय में शामिल

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष से 2.84 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, जो बजट अनुमान से 3.09 प्रतिशत अधिक रही। इस वर्ष के दौरान सहायता-अनुदान में 10.71 प्रतिशत की गिरावट हुई। चालू वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों (₹ 39,173.04 करोड़) से राजस्व व्यय (₹ 44,731.63 करोड़) आधिक्य रहा, जो ₹ 5,558.59 करोड़ के राजस्व घाटे में परिणत हुआ।

1.3.2 सरकार की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का आशुचित्र

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं एवं किए गए व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों का ब्यौरा रखते हैं। परिशिष्ट 1.2 विगत वर्ष की इसी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2024 तक ऐसी देयताओं एवं परिसंपत्तियों का सार दर्शाता है। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम, लोक लेखा से मिली प्राप्तियां एवं आरक्षित निधियां आती हैं जबकि परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम तथा नकद शेष समाविष्ट हैं। परिसंपत्तियों एवं देयताओं की संक्षेपित स्थिति नीचे तालिका 1.3 में दर्शाई गई है:

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों एवं देयताओं की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं				परिसंपत्तियां					
घटक	2022-23	2023-24	प्रतिशत में वृद्धि/गिरावट	घटक	2022-23	2023-24	प्रतिशत में वृद्धि/गिरावट		
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	55,975.16	61,439.29	9.76	अ	सकल पूंजीगत व्यय	61,488.38	67,118.17	9.16
ख	भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम	7,388.31*	8,929.83*	20.8	ब	ऋण व अग्रिम	8,052.62	8,132.18	0.99
आकस्मिक निधि		5.00	5.00	--			--	--	--
लोक लेखे									
क	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	17,682.25	19,337.58	9.36	अ	विभागीय अधिकारियों को दिए अग्रिम	--	--	--
ख	निक्षेप व अग्रिम	3,608.49	3,645.97	1.04	ब	प्रेषण	--	--	--
ग	आरक्षित निधि	1,934.72	2,279.77	17.83	स	उच्यंत एवं विविध	--	--	--
घ	प्रेषण	493.96	620.25	25.57	नकद शेष (निर्धारित निधि में निवेश सहित)		3,556.04	1,500.44	-57.81
इ	उच्यंत एवं विविध	224.94	265.28	17.93	कुल		73,097.04	76,750.79	5.00
					राजस्व लेखा में घाटा		14,215.79	19,772.18	39.09
योग		87,312.83	96,522.97	10.55			87,312.83	96,522.97	10.55

स्रोत: वित्त लेखे

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ + 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) शामिल हैं।

1.4 राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब कोई सरकार राजस्व के रूप में एकत्र पूंजी से अधिक खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। ऐसे कई उपाय हैं जो सरकारी घाटे को नियंत्रित करते हैं।

घाटे की पूर्ति उधार लेकर की जाती है, जिससे सरकारी ऋण बढ़ता है। घाटे एवं ऋण की अवधारणा का गहन संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है जो ऋणों में वृद्धि करता है। यदि सरकार वर्ष-दर-वर्ष लगातार उधार लेती रहे तो यह ऋण के संचय (संचित ऋण) में परिणत हो जाता है तथा सरकार को ब्याज के रूप में अधिकाधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं भी ऋण को बढ़ाते हैं।

उधार लेकर सरकार खपत कम करने का बोझ भावी पीढ़ी पर स्थानांतरित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रह रहे लोगों को बांड जारी करके उनसे उधार लेती है परंतु लगभग बीस वर्षों बाद करों को बढ़ाकर या खर्च घटा कर बांड का भुगतान करने का निर्णय ले सकती है। साथ ही सरकार द्वारा लोगों से उधार लेने से निजी क्षेत्र हेतु उपलब्ध बचत कम हो जाती है। यह पूंजीगत निर्माण एवं विकास को इस हद तक घटा देता है कि ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' की तरह कार्य करता है।

यद्यपि उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य में यदि सरकारी घाटे सफल होते हैं तो आय अधिक होगी तथा तदनुसार बचत भी अधिक होगी। इस स्थिति में सरकार एवं उद्योग दोनों अधिक उधार ले सकते हैं। साथ ही, यदि सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करती है, तो भावी पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते कि ऐसे निवेशों पर मिला प्रतिफल ब्याज दर से अधिक हो। वास्तविक ऋण का भुगतान उत्पादन में वृद्धि से किया जा सकता है। ऐसे में ऋण बोझ नहीं लगेगा। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि के संदर्भ में आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि करके या व्यय में कटौती करके घटाया जा सकता है। यद्यपि सरकारी व्यय में कटौती पर अधिक जोर दिया गया है। कार्यक्रमों की बेहतर योजना एवं बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को अधिक कुशल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

केंद्र व प्रत्येक राज्य सरकार ने राजस्व घाटा समाप्त करने, राजकोषीय घाटे व समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करने, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करने और मध्यावधि ढांचे की पारदर्शिता में सुधार करके राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया। इस संदर्भ में यह अधिनियम घाटे से उबरने के उपाय व ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

अप्रैल 2005 में राज्य सरकार ने राजकोषीय घाटे एवं विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन को सम्मिलित करते हुए राजस्व अधिशेष प्राप्त करके दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु हिमाचल राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू किया। तत्पश्चात मार्च 2011 में राज्य सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2011 में संशोधन किया, जिसके आधार पर वर्ष 2014-15 तक के राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किए गए।

राजकोषीय घाटे पर सांविधिक सीमा में ढील (लचीलापन) प्रदान करने एवं अपूर्ण व चल रही पूंजीगत परियोजनाओं की देयता संचित न होना सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक बजट प्रावधान के उचित गुणक में नए पूंजीगत कार्यों की स्वीकृति पर सांविधिक सीमा (प्रतिबंध) प्रदान करने हेतु चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को उसके राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को संशोधित करने की सिफारिश की।

चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार से यह भी सिफारिश की है कि गारंटी, बजट से बाहर के उधार एवं आर्थिक रूप से कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संचित हानियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के संदर्भ में राज्य की ऋण स्थिति के आंकलनार्थ बजट के पूरक के रूप में बजट में कुल दिए गए लोक ऋण की गणना, विश्लेषण एवं वार्षिक रिपोर्टिंग हेतु एक टेम्पलेट (नमूने) को अपनाएं। राजकोषीय प्रबंधन कानून को अधिक शुद्धता एवं वैधता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को मौजूदा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (1) को लागू करते हुए ऋण सीमा व राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून से बदलने की सिफारिश की गई।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय घाटे पर निर्धारित सीमा के ऊपर अतिरिक्त एक प्रतिशत की सशर्त सांविधिक लचीली सीमा की सिफारिश की, जो निम्नवत् सुधारों पर प्राप्त की जा सकेगी: (i) एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन; (ii) व्यापार को आसान बनाने वाले सुधार; (iii) शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार; तथा (iv) विद्युत क्षेत्र में सुधार। प्रत्येक सुधार का भार सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.25 प्रतिशत था जो कुल मिलाकर एक प्रतिशत था।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने राज्य के वित्त के सुदृढीकरण हेतु डिस्कॉम की वित्तीय शक्तियों की केंद्रीयता पर विचार करते हुए वर्ष 2021-22 से 2024-25 की चार वर्ष की अवधि में राज्य हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत के अतिरिक्त सीमा की सिफारिश की, जिसमें विद्युत क्षेत्र के निम्नवत सुधार सम्मिलित हैं- (i) परिचालन घाटे में कमी, (ii) राजस्व अंतर में कमी, (iii) प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को अपनाकर नकद सब्सिडी के भुगतान में कमी, एवं (iv) राजस्व के प्रतिशत के रूप में टैरिफ सब्सिडी में कमी, आदि।

15वें वित्तायोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में उसके राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया। राजकोषीय घाटे पर सांविधिक लचीली सीमा वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के छः प्रतिशत या उससे कम पर (15वें वित्तायोग की 3.5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के सापेक्ष), वर्ष 2023-24 व 2024-25 में 3.5 प्रतिशत या उससे कम पर एवं उसके बाद तीन प्रतिशत या उससे कम पर बनाए रखने पर तय की गई।

इसके अतिरिक्त राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत अनुशंसित मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष तीन वर्ष के आवर्ती लक्ष्यों के साथ तैयार की गई थी। वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश-राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों की अनुपालना तालिका 1.4(क) में दर्शाई गई है।

तालिका 1.4 (क): हिमाचल प्रदेश-राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना

राजकोषीय मापदंड		हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व घाटा(-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	ल	राजस्व अधिशेष बनाए रखना है।				
	उ	12 ✓	- 97 ✗	1,115 ✓	-6,336 ✗	-5,559 ✗
राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	ल	3% या कम			6% या कम	3.5% या कम
	उ	-3.52 ✗	-3.76 ✗	- 3.05 ✗	- 6.46 ✗	-5.43 ✗
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण @ का अनुपात (प्रतिशत में) [§]	ल	34.04	33.62	40.26	40.49	38.98
	उ	39.09 ✗	44.30* ✗	40.15* ✓	42.86* ✗	43.98* ✗

@ कुल बकाया ऋण में लोक ऋण व अन्य (लोक लेखा) देयताएं शामिल हैं।

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण के रूप में 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ एवं 2021-24 के दौरान ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ + 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ दिया गया है, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

§ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कुल बकाया ऋण के अनुपात की तुलना मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों से की गई है, क्योंकि राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (2011 के बाद, जब संशोधन किए गए थे) में लक्ष्यों को निर्दिष्ट नहीं किया था।

ल - लक्ष्य, उ- उपलब्धि

15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं वर्ष 2023-24 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के संबंध में उपलब्धियों की तुलना में राज्य के बजट में अनुमानित लक्ष्य तालिका 1.4(ख) में दिए गए हैं।

तालिका 1.4(ख): वर्ष 2023-24 हेतु प्रमुख राजकोषीय समुच्चय के संदर्भ में लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन

राजकोषीय चर	15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट द्वारा निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत भिन्नता	
				15वें वित्तायोग के लक्ष्य	बजट में लक्ष्य
राजस्व अधिशेष(+) या घाटा(-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.2	-2.19	-2.68	3.88	0.49
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-3.00	-4.61	-5.43	2.43	0.82
कुल बकाया देयता/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	36.80	38.98	43.98*	7.18	5.00

स्रोत: 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें (सौंपी गई अवधि 2020-26 हेतु सभी राज्यों के लिए सांकेतिक घाटा/अधिशेष एवं हिमाचल प्रदेश के लिए ऋण पथ), वार्षिक वित्तीय विवरण व वित्त लेखे

* वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ को छोड़कर।

राज्य को विगत दो वर्षों के दौरान वर्ष 2022-23 में ₹ 9,377 करोड़ एवं वर्ष 2023-24 में ₹ 8,058 करोड़ का हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त हुआ। अनुदान मिलने के बावजूद राज्य को वर्ष 2022-23 में ₹ 6,336 करोड़ एवं वर्ष 2023-24 में ₹ 5,559 करोड़ का भारी राजस्व घाटा हुआ, जो चिंता का विषय है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार सभी लक्ष्यों अर्थात् कुल बकाया ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एवं राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के साथ-साथ उसके बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्यों के भीतर रखने में असमर्थ रही।

हिमाचल राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में अंतर्निहित मान्यताओं के विनिर्देशन के साथ निर्धारित राजकोषीय संकेतकों हेतु तीन वर्षीय आवर्ती लक्ष्य निर्धारित किए जाए। मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में दिए प्राक्कलनों व वास्तविकों का तुलनात्मक अध्ययन तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: वर्ष 2023-24 हेतु मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणियों में दिए प्राक्कलनों व वास्तविकों का तुलनात्मक अध्ययन


(₹ करोड़ में)

क्र. स.	राजकोषीय चर	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के अनुसार प्राक्कलन	वास्तविक (2023-24)	विचलन (प्रतिशत में)
1.	कर राजस्व (i+ii)	21,503.99	21,210.01	-1.37
	(i) स्व-कर राजस्व	13,025.97	11,835.29	-9.14
	(ii) संघीय करों/शुल्कों का अंश	8,478.02	9,374.72	10.58
2.	कर-भिन्न राजस्व	3,447.2	3,020.88	-12.37
3.	भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान	13,048.68	14,942.15	14.51
4.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	37,999.87	39,173.04	3.09
5.	राजस्व व्यय	42,703.99	44,731.63	4.75
6.	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (4-5)	-4,704.12	-5,558.59	18.16
7.	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	-9,900.14	-11,265.73	13.79
8.	ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)	38.98	43.98	5.00
9.	चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.00	8.19	-1.81


स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार सभी राजकोषीय संकेतकों को मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में प्राक्कलित के भीतर रखने में असमर्थ रही।

चार्ट 1.4 व चार्ट 1.5 क्रमशः वर्ष 2019-24 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष घाटा मानदंड एवं प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।



स्रोत: वित्त लेखे



स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय की अधिकता को इंगित करता है। राजस्व अधिशेष उधार कम करने में सहायता करता है। हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (2011 में संशोधित) के अनुसार राज्य को वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को घटाना एवं तदोपरांत राजस्व अधिशेष को बनाए रखना था। राज्य सरकार का विगत दो वर्षों का ₹ 6,336 करोड़ (2022-23) एवं ₹ 5,559 करोड़ (2023-24) का राजस्व घाटा बहुत अधिक है।

राजकोषीय घाटा सरकार की बढ़ी हुई शुद्ध देयताओं अथवा उसके अतिरिक्त उधारों को परिलक्षित करता है। घाटे को या तो अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक या बाह्य) द्वारा अथवा लोक लेखा से अधिशेष निधियों का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। गत दो वर्षों से राजकोषीय घाटा (वर्ष 2022-23 में ₹ 12,380 करोड़ व वर्ष 2023-24 में ₹ 11,266 करोड़) उच्च बना हुआ है, जिसने 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 3.50 प्रतिशत (2022-23) व 3.00 प्रतिशत (2023-24) अनुपात सीमा को पार कर दिया।

प्राथमिक घाटा जो पिछले उधार के ब्याज भुगतान को घटाते हुए वर्तमान वर्ष का राजकोषीय घाटा दर्शाता है, वह वर्ष 2022-23 में ₹ 7,551 करोड़ एवं वर्ष 2023-24 में ₹ 5,617 करोड़ रहा।

1.5 राज्य सरकार का भारत सरकार की निर्धारित सीमा के अनुरूप उधार लेने के संबंध में प्रदर्शन

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293(3) अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान करता है कि राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है यदि भारत सरकार द्वारा राज्य को दिए गए ऋण का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने राज्य सरकार की निवल उधार सीमा ₹ 6,342 करोड़ निर्धारित की (फरवरी 2024) एवं राज्य सरकार को यह

सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी स्रोतों से उसकी बढ़ती उधारी (जो कि राज्य के वित्त लेखाओं की विवरणी 6 में दर्शाया गया है) इस सीमा के भीतर रहे।

वित्त लेखाओं की विवरणी 6 अर्थात् उधार व अन्य देयताओं के विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के बढ़ते उधार व अन्य देयताएं ₹ 9,043.53 करोड़ (अर्थात् सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.36 प्रतिशत) थीं, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित ₹ 6,342 करोड़ की उधार सीमा से बहुत अधिक थी।

1.6 लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् घाटा

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार को राजकोषीय संकेतकों जैसे घाटा, ऋण व गारंटी की सीमा इत्यादि हेतु निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। राज्य का परिकल्पित राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण एवं बजट से इतर राजकोषीय संचालन जैसी विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त स्पष्ट देयताओं का आस्थगन, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा न करना आदि भी राजस्व व राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए उपरोक्त का प्रभाव लेना आवश्यक है तथा ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को उलटने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् मिला घाटे का विश्लेषण तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति (+)/ अत्योक्ति (-))	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति (+)/ अत्योक्ति (-))	संदर्भित परिच्छेद
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत रखी शेष राशि पर ब्याज के संदर्भ में देयता का भुगतान न करना	1.19	1.19	2.4.1.2 (i)
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत रखी शेष राशि पर ब्याज का प्रावधान/भुगतान न करना	11.36	11.36	2.5.2.2 (क)
राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में अंशदान का हस्तांतरण न करना	9.71	9.71	2.5.2.2 (ख)
केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि को अनुदान हस्तांतरित न करना	136.32	136.32	2.5.2.6
योग	158.58	158.58	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व घाटा व राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 5,558.59 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.68 प्रतिशत) एवं ₹ 11,265.73 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का

5.43 प्रतिशत) था, जैसाकि चार्ट 1.4 व 1.5 में दर्शाया गया है। यदि तालिका 1.6 में दर्शाए गए उपरोक्त लेनदेन को ध्यान में रखा जाए तो वास्तविक राजस्व घाटा व राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 5,717.17 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.76 प्रतिशत) एवं ₹ 11,424.31 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.51 प्रतिशत) होगा।

1.7 लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् - कुल बकाया ऋण

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार कुल देयताओं का तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में निर्दिष्ट राज्य की समेकित निधि एवं लोक लेखाओं के तहत देयताओं से हैं। बकाया ऋण/देयताओं को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जैसाकि तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: 31 मार्च 2024 तक बकाया ऋण/देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

वित्त लेखाओं के अनुसार उधार एवं अन्य देयताएं	राशि
आंतरिक ऋण (क)	61,439.29
सब्याज बाज़ार ऋण	52,147.00
ब्याज रहित बाज़ार ऋण	0.06
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	12.93
नाबार्ड से ऋण	3,640.23
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	75.11
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बांड	2,312.40
अन्य संस्थानों इत्यादि से ऋण	0
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	3,251.56
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (ख)	8,929.83*
आयोजनेत्तर ऋण	1.09
राज्य की आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	2,948.94*
अन्य	5,979.80*
लोक लेखा पर देयताएं (ग)	25,263.84
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	19,337.58
निक्षेप	3,646.49
आरक्षित निधि	2,279.77
कुल (क + ख + ग)	95,632.96*

स्रोत: वित्त लेखे

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21 में ₹ 1,717 करोड़ एवं 2021-22 में ₹ 2,695.22 करोड़) को शामिल किया गया है।

वर्ष 2023-24 की समाप्ति तक राज्य पर ₹ 95,632.96 करोड़ का सकल बकाया ऋण/ देयताएं थीं। बजट से इतर¹ अर्थात् राज्य सरकार की ओर से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों इत्यादि द्वारा लिए उधार जहां मूलधन एवं/अथवा ब्याज को राज्य बजट से चुकाया जाना; राज्य सरकार के निक्षेप कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के

¹ स्रोत: वित्त लेखा 2023-24 की टिप्पणियों का परिच्छेद 3 (xvii)

उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहन इत्यादि द्वारा स्वयं की निधियों का प्रयोग, जिसे राज्य सरकार द्वारा उधारों के माध्यम से वित्तपोषित करना था; तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की ओर से लिए गए ऋण के मूलधन/ब्याज घटक की राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों आदि की प्रतिपूर्ति न करना जैसे राजकोषीय प्रचालन का कोई मामला नहीं पाया गया। इस प्रकार राज्य सरकार के समग्र बकाया ऋण/देयताओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

